<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
मनोज बनाम लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार)
सू.अ.अपील संख्या 79 / 2023</td><td>न. व तारीख अहकाम जो इरा हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>13.06.23</td><td>अपीलार्थी मनोज ठठेरा निवासी ठठेरों की गली, कटला बाजार, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2023 में उसके द्वारा प्रकरण संख्या 2874189 खसरा स. 36 बोरानाडा से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर
जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</td><td></td></tr>
</table>